भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4713

उत्तर देने की तारीख : 31.03.2022

महाराष्ट्र में अल्पसंख्यकों को छात्रवृत्ति

4713. श्री राजन बाबूराव विचारे:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत लाभान्वित छात्रों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान उक्त योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र सरकार को कुल कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(ग) उपरोक्त में से अब तक कितनी राशि खर्च की गई है;

(घ) खर्च न की गई राशि के क्या कारण हैं; और

(ङ) केंद्र सरकार द्वारा उक्त योजना का लाभ महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को मिलने एवं धनराशि का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री मुख्तार अब्बास नकवी)

(क): अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय महाराष्ट्र राज्य सहित देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात बौद्ध, ईसाई, जैन, मुस्लिम, सिख, पारसी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना लागू करता है। इसे केंद्र सरकार की केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में 2014-15 से लागू किया गया है और डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) मोड के तहत केंद्रीय निधि से सीधे लाभार्थी के खाते में 100% छात्रवृत्ति संवितरित की जाती है। मैट्रिक-पूर्व योजना के तहत महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को अब तक 83,33,875 छात्रवृत्तियां संवितरित की गई है।

(ख) से (घ): पिछले 3 वर्षों के दौरान (अर्थात 2019-20 से 2021-22 तक) 256.00 करोड़ रुपये की मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई थी। चूंकि यह योजना डीबीटी मोड के तहत लागू की जाती है और छात्रवृत्ति सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में संवितरित की जाती है, राज्य-वार निधि का आवंटन नहीं किया जाता है।

(ङ): छात्रवृत्ति योजनाओं को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) के माध्यम से कार्यान्वित और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के तहत संवितरित की जा रही है ताकि दोहरेपन और हेराफेरी को रोककर दक्षता को बेहतर बनाया जा सके और पारदर्शिता लायी जा सके।

छात्रों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इस योजना का राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रिंट मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाता है। नवीनीकरण छात्रवृत्ति के लिए पात्र छात्रों को पोर्टल खुलने के तुरंत बाद नियमित अनुस्मारक के साथ एसएमएस भेजे जाते हैं। सोशल मीडिया पर भी योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जाता है। ग्राम सरपंचों/प्रधानों को एसएमएस के माध्यम से योजनाओं के बारे में सूचित किया जाता है और जिला मजिस्ट्रेटों/कलेक्ट्रों को भी अपने-अपने जिलों में योजना का व्यापक प्रचार करने और यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया जाता है कि उनके जिलों के विभिन्न स्कूलों/संस्थानों में पढ़ रहे अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सभी पात्र छात्र छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करें। उन्हें जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक की कार्यसूची में विषय को शामिल करने तथा जनप्रतिनिधियों में जागरूकता पैदा करने के भी निर्देश दिये जाते हैं।

*****